भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1841

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम</u>

1841. श्री दुष्यंत सिंहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में जो अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहे हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तेल और गैस की खोज के लिए पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोले जाने से विशेषकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और भूमि आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार की चिंताओं का किस प्रकार समाधान किया जा रहा है; और

(ग) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार सतत विकास को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है और झालावाड़-बारां जैसे जिलों में समुदायों को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर से जाने के लिए किस प्रकार विशिष्ट सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करता है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित योजना कंपोनेंटों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके राजस्थान राज्य सहित देश में बायोमास, बायोगैस और अपशिष्ट-से-ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है:

i. **अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम** (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेष से ऊर्जा पर कार्यक्रम)
ii. **बायोमास कार्यक्रम** (ब्रिकेट एवं पैलेट के विनिर्माण में सहायता करने तथा उद्योगों में सह-उत्पादन आधारित बायोमास (गैर बगास) के लिए योजना)
iii. **बायोगैस कार्यक्रम** (छोटे (1 घन मीटर से 25 घन मीटर प्रति दिन) और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों अर्थात् 25 घन मीटर से 2500 घन मीटर आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में सहायता करने के लिए कार्यक्रम)।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेल और गैस ब्लॉक (पूर्व में प्रतिबंधित 'नो-गो' क्षेत्रों में ब्लॉक सहित) एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। कार्यों को शुरू करने से पहले तत्समय लागू कानूनों के अनुसार, तेल और गैस की खोज के लिए तटीय क्षेत्र स्वीकृति सहित पर्यावरणीय स्वीकृतियां आवश्यक हैं। इसमें आमतौर पर आवंटन के बाद एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन शामिल होता है। ईआईए प्रक्रिया में सार्वजनिक सुनवाई शामिल है और पर्यावरण पर खोज गतिविधियों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है और पर्यावरण संरक्षण तथा अनुपालन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कंपनियां खोज की गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उपायों के साथ खोज और उत्पादन गतिविधियों को तालमेल के साथ किया जाता है।

इसी तरह, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस संयंत्र जैसी जैव ऊर्जा परियोजनाएं राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताओं, उत्सर्जन सहित स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय आकलन सहित पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती हैं। ये सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं कि जैव ऊर्जा विकास स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाता है, अपशिष्ट और उत्सर्जन का जिम्मेदारी से प्रबंधन करता है।

(ग)

i. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बायोगैस कंपोनेंट के अंतर्गत, राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, लघु और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की राष्ट्रव्यापी संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत, राजस्थान के बारां जिले में दो बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण परियोजनाओं की सहायता की गई है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टन प्रति घंटे में क्षमता (TPH)
1	शुभ एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड	5
2	शुभ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	8

ii. राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 किसानों, डेयरी फार्मों, पोल्ट्री फार्मों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सेल्फ हेल्प समूहों (एसएचजी) और उद्योगों को बढ़ावा देती है और राजस्थान में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में उनकी मदद करती है।

*****